संख्या-1/2017/458सी0डी0/46-3-17-1000(56)/2014

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 31, मार्च, 2017

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कृषि विभाग के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा गन्ना विभाग की **इनहांसिंग सुगरकेन शीड प्रोडेक्सन इन यू०पी० पार्ट**-2 **हेतु अवमुक्त की गयी क्रमश रु० 18.00 लाख तथा रू0 451.44 लाख (कुल रु०-469.44 लाख) की** धनराशि के व्यय/उपयोग के सम्बन्ध में प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में वित्तीय स्वीकृति विषयक शासन के कृषि अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-220/12-3-2017-100(11)/2017, दिनांक 28 मार्च, 2017 एवं शासनादेश संख्या-266/12-3-2017-100(22)/2017, दिनांक 28 मार्च, 2017 के अनुक्रम में प्रस्ताव प्रेषण विषयक अपने पत्र संख्या-1950-51/रा0कृ0वि0यो0/विकास दिनांक 30.03.2017 एवं पत्र संख्या-1952-53/रा0कृ0वि0यो0/विकास दिनांक 30.03.2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता वाली एस0एल0एस0सी0 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष गन्ना विकास विभाग के **इनहांसिंग सुगरकेन शीड प्रोडेक्सन इन यू०पी० पार्ट**-2 **हेतु क्रमश अनुदान संख्या-11 के लेखा शीर्षक-2401-फसल** कृषि **कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय- 02-** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-**0213-गन्ना उत्पादन की योजनायें-42-अन्य व्यय** के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-220/12-3-2017-100(11)/2017, दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा अवमुक्त **रु० 18,00,000/- तथा अनुदान संख्या-11 के लेखा शीर्षक-2401-फसल** कृषि **कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय - 02-** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-**0213-गन्ना उत्पादन की योजनायें-27-सब्सिडी** के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-266/12-3-2017-100(22)/2017, दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा अवमुक्त **रू0 451,44,000/-, अर्थात अवमुक्त की गयी कुल धनराशि रु०-4,69,44,000** का , **इस पत्र के संलग्नक-1 एवं 2 में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार,** वित्तीय वर्ष 2016-17 में गन्ना विकास विभाग के **इनहांसिंग सुगरकेन शीड प्रोडेक्सन इन यू०पी० पार्ट**-2 के भौतिक कार्यो हेतु, निम्नलिखित शर्तो के अधीन, व्यय / उपयोग किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या-220/12-3-2017-100(11)/2017, दिनांक 28 मार्च, 2017 एवं शासनादेश संख्या-266/12-3-2017-100(22)/2017, दिनांक 28 मार्च, 2017 में दिये गये शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं/ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-

--------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2331सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1492 सी0डी0/46-3-23-1000(72)/2012 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तो(गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2016-17 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

(4) प्रस्तर-2 में वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय। तद्नुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संलग्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागों के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमो एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-1/2017/458(1)सी0डी0/46-3-17-1000(56)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0 शासन।
2- अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0।।
4- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी**(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0**(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
9- नोडल अधिकारी(आर0के0वी0वाई0), उ0प्र0 कृषि भवन लखनऊ।
10- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
11- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2017/458सी0डी0/46-3-17-1000(56)/2014, दिनांक 31, **मार्च, 2017** का - **संलग्नक -1**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत इनहांसिंग सुगर केन प्रोडेक्सन इन यू०पी०पार्ट- 2 हेतु रु० 1800 हजार की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष दी जा रही प्रशासकीय स्वीकृति का जनपदवार/कार्यक्रमवार फांट

धनराशि रू० में

क्र०सं०	नाम जनपद	कार्यक्रम का नाम
		एम०एच०ए०टी संयंत्र की स्थापना
1	**2**	**3**
1	सहारनपुर	500000**.00**
2	मुजफ्फरनगर	500000**.00**
3	शामली	800000**.00**
योग परिक्षेत्र सहारनपुर		**1800000.00**

(रु० अट्ठारह लाख मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1/2017/458सी0डी0/46-3-17-1000(56)/2014, दिनांक 31. मार्च, 2017 का - संलग्नक -2

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत इनहांसिंग सुगर केन प्रोडेक्सन इन यू०पी०पार्ट- 2 हेतु रु० 45144 हजार की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष दी जा रही प्रशासकीय स्वीकृति का जनपदवार/कार्यक्रमवार फांट

(धनराशि रु० में)

क्र०सं०	नाम जनपद	कार्यक्रम का नाम
		कृषि यन्त्र वितरण
1	**2**	**3**
1	सहारनपुर	7123338
2	मुजफ्फरनगर	7020775
3	शामली	5806423
योग परिक्षेत्र सहारनपुर		**19950536**
4	मेरठ	3060675
5	बागपत	2034400
6	गाजियाबाद	492000
7	बुलन्दशहर	2585500
8	हापुड़	1305125
योग परिक्षेत्र मेरठ		**9477700**
9	बिजनौर	3486220
योग परिक्षेत्र मुरादाबाद		**3486220**
10	बदायूं	300994
योग परिक्षेत्र बरेली		**300994**
11	लखीमपुर	2073912
12	सीतापुर	1102975
13	रायबरेली	89000
14	फरूर्खाबाद	450770
15	हरदोई	406618
16	कानपुर	231745
योग परिक्षेत्र लखनऊ		**4355020**
17	फैजाबाद	1762350
18	बाराबंकी	318195
19	जौनपुर	203500
20	गाजीपुर	256225
21	वाराणसी	157612
22	अम्बेडकरनगर	1056975
योग परिक्षेत्र फैजाबाद		**3754857**
23	गोरखपुर	207768

--------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

24	बस्ती	574220
25	महराजगंज	290267
26	सिद्धार्थनगर	61468
योग परिक्षेत्र गोरखपुर		**1133723**
27	देवरिया	526750
28	कुशीनगर	2158200
योग परिक्षेत्र देवरिया		**2684950**
योग प्रदेश		**45144000**

(रु० चार करोड़ इक्यावन लाख चौवालिस हजार मात्र)

नोटः–जनपद शामली, हापुड तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरण कर सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।